आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 66/2013

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

जयराम प्रसाद सिंह ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

विश्वनाथ सिंह एवं अन्य ———— द्वितीय पक्ष

15.01.2019 यह वाद थाना प्रभारी, छत्तरपुर के अप्राथमिकी सं0– 12/2013 के आधार पर मौजा– रजगनडीह, खाता संख्या– 6, प्लॉट सं0– 17, रकबा– 6.70 एकड़, चौहदी:– उतर– भुनेश्वर महतो वगैरह, दक्षिण– पिच सड़क छत्तरपुर से नौडीहा बाजार जाने वाली, पूरब– बटाने नदी, पश्चिम– भुनेश्वर वगैरह एवं प्लॉट सं0– 2, रकबा– 7.42 एकड़, चौहदी:– उतर– भुनेश्वर महतो, दक्षिण– पिच सड़क, पूरब– भुनेश्वर महतो, पश्चिम– पिच सड़क एवं वन विभाग कि भूमि पर धारा 144 द0प्र0स0 के अन्तर्गत प्रकिया प्रारंभ कर वाद भूमि पर उभय पक्ष को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। सुनवाई के पश्चात दखल– कब्जा के स्थाई निदान हेतु वाद को धारा 145 द0प्र0स0 में परिवर्ति कर दिया गया तथा उभय पक्ष को अपने – अपने दखल– कब्जा के दावे के समर्थन में लिखित कथन दाखिल करने का आदेश दिया गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं लिखित कथन दाखिल किये। प्रथम पक्ष कि ओर से पाँच गवाहों की गवाही लिया गया। द्वितीय पक्ष कि ओर

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	से तीन गवाहों की गवाही के उपरांत द्वितीय पक्ष के द्वारा इस वाद में कोई अभिरूची नहीं लेते हुए लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया की यह वाद मौजा– रजमनडीह, खाता संख्या– 6, प्लॉट सं0– 17, रकबा– 6.70 एकड़ एवं प्लॉट सं0– रकबा– 7.46 एकड़ भूमि पर धारा 144 दं0प्र0स0 प्रारम्भ किया गया जिसे सुनवाई के पश्चात धारा 145 दं0प्र0सं0 में परिवर्तित कर दिया गया। आगे कहना है कि बैद्यनाथ सिंह प्रथम पक्ष के पिता थे जिन्हे उपायुक्त, पलामू के द्वारा वाद भूमि को बन्दोबस्ती वाद सं– 216 दिनांक 09.06.1956 से भूमि प्राप्त हुआ था तथा अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर जोत– कोड़ एवं दखल–कब्जा में रहे। सरकार को मालगुजारी देकर प्रथम पक्ष के पिता सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते रहे तथा उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जयराम सिंह का दखल– कब्जा स्थापित हुआ। वाद भूमि के किसी भी भू–भाग पर द्वितीय पक्ष का कभी भी दखल– कब्जा नहीं रहा है, द्वितीय पक्ष बल पूर्वक प्रथम पक्ष के भूमि को हथियाना चाहते हैं। अतः वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा घोषित किया जाय तथा द्वितीय पक्ष को वाद भूमि पर जाने से रोक लगाई जाय। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित कथन का सार यह है कि मौजा– रजमनडीह के खाता सं0– 2 के अंतर्गत प्लॉट से 20.18 एकड़ भूमि को राम वरण महतो ने निबंधित विकय पत्र द्वारा महेश्वर महतो से खरीद किये हैं और खरीदगी के बाद भूमि पर शांतिपूर्वक दखल– कब्जा में आये तथा सरकारी

15/1/19

(13)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

लगान रसीद राम वरण महतो के नाम से निर्गत हुआ। मौजा– रजमनडीह के खाता सं0– 6, प्लॉट सं0– 2/189, रकबा– 2.70 एकड़, प्लॉट सं0– 3/190, रकबा– 1.36 एकड़, प्लॉट सं0– 6/191, रकबा– 0.10 एकड़, प्लॉट सं0– 2/192, रकबा– 0.20 एकड़, प्लॉट सं0– 2/193, रकबा– 0.22 एकड़, प्लॉट सं0– 2/194, रकबा– 0.04 एकड़, प्लॉट सं0– 3/195, रकबा– 1.02 एकड़, प्लॉट सं0– 17/198, रकबा– 2.88 एकड़, एवं प्लॉट सं0– 20/196, रकबा– 0.16 एकड़ भूमि को भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा राम वरण महतो के नाम से जमीन्दारी पट्टा के माध्यम से बंदोबस्त हुआ है और जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार के द्वारा लगान रसीद निर्गत हुआ। राम वरण महतो अपने जीवन काल में दखल– कब्जा में रहे तथा उनके मरने के बाद उनके वंशज आज भी दखल– किब्जा एवं जोत– कोड़ में हैं। द्वितीय पक्ष के खरीदगी भूमि से सटे यह प्रकिया की भूमि है जिसपर विपक्षी को पूर्वजों से जोत– कोड़ एवं दखल– कब्जा चला आ रहा है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के भूमि को हड़पने के नियत से जाली दस्तावेजों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध यह वाद दायर किये हैं तथा प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर कभी भी दखल– कब्जा एवं जोत– कोड़ में नहीं रहे हैं, उनका जो भी व्यान है पूर्णतः काल्पनीक एवं झुठी बातों पर आधारीत है।

प्रथम पक्ष की ओर से पाँच साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गय है जो निम्न प्रकार है:–

<u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या–01</u>:– मुस्ताक अंसारी पिता– स्व0 मो0 इस्लाम, ग्राम– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने अपने परिक्षण एवं प्रति परिक्षण में जयराम सिंह का दखल– कब्जा होने

15/1/14

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

का दावा किया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या–02:– मो0 यासीन अंसारी पिता– स्व0 सकुर अंसारी, ग्राम– पतरियाडीह, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने अपने परिक्षण एवं प्रति परिक्षण में प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या–03 :– जयराम प्रसाद सिंह पिता– स्व0 वृजनाथ सिंह, ग्राम– रजमनडीह, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने अपने परिक्षण एवं प्रति परिक्षण में अपने पिता एवं अपने दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या–04 :– रामसुन्द सिंह पिता– स्व0 महेश्वर सिंह, ग्राम– नावाडीह, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने अपने परिक्षण में सरकारी रसीद सं0– 1273900 को अपने सामने इसराईल कर्मचारी के द्वारा निर्गत करने का दावा किये हैं।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या–05 :– रामविलाश सिंह पिता– स्व0 देवनारायण सिंह, ग्राम– तरीडीह, थाना– नौडीहा बाजार जिला– पलामू ने अपने परिक्षण में अपना दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

द्वितीय पक्ष कि ओर से तीन साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्राकर है:–

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–01:– बबन भुईयाँ पिता– स्व0 गोपी भुईयाँ, ग्राम– तरीडीह, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के द्वारा अपने प्रति परिक्षण में विवादी भूमि का पुरा जानकारी नहीं होने की बात कही गयी है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–02:– अशोक पासवान पिता– स्व0 रामदेव पासवान, ग्राम– तरीडीह, थाना– नौडीहा बाजार, जिला–

15/11/19

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

पलामू ने अपने परिक्षण में द्वितीय पक्ष के जमीन को रोड के उतर तरफ होने का दावा किया है।

<u>द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–03</u>:– कुमुद कुमार सिंह पिता– स्व0 रामचलितर सिंह, ग्राम– डुमरी, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने अपने प्रति परिक्षण में प्रथम पक्ष के खेती– बारी होता है यह बात हमें नही मालुम होने की बात कही गयी है।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नांकित दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है जिसे न्यायालय के द्वारा प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल राजस्व रसीद सं0– 1273900 को प्रदर्श– "A", उपायुक्त, पलामू के द्वारा निर्गत परवाना सं0– 216 वर्ष 1955 को प्रदर्श– "B" एवं उपायुक्त, पलामू के द्वारा निर्गत परवाना को प्रदर्श– "B/1" के रूप में अंकित किया गया।

प्रथम पक्ष के मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुंचती है कि विवादी भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि से पूर्व प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा विद्यमान रहा है और इस प्रकार प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिये रोक लगाई जाती है जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

15/11/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

15/11/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.26 15:56:41 +05:30
Location: 192.168.12.28